न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा

आ0ई0आर0 केस नं0–25 / 2018–19

यशोदा देवी

बनाम

गणेश यादव वगैरह

25/4/25

–: आदेश :–

आवेदिका यशोदा देवी, पति–स्व0 बुधु यादव, सा0–मोहानी, थाना–महागामा, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के द्वारा मौजा मोहानी, थाना नं0–439, जमाबंदी नं0–25, कुल रकवा–01–08–03 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल आवेदन, कारण–पृच्छा, कागजात एवं अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा मोहानी, थाना नं0–439, जमाबंदी नं0–25, दाग नं0–84, रकवा–01–08–03 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत बुधु गोप, पे0–लखन गोप के नाम से दर्ज है। आवेदिका जमाबंदी रैयत बुधु गोप की पत्नी है तथा मदन यादव पोष्यपुत्र है। द्वितीय पक्ष एक बाहरी व्यक्ति है जिसका जमाबंदी रैयत से कोई सरोकार नहीं है। जमाबंदी रैयत बुधु गोप ने अपने जीवनकाल में दो शादी किये थे। प्रथम पत्नी दुलारी देवी एवं द्वितीय पत्नी यशोदा देवी थी। पहली पत्नी दुलारी देवी जटामा के ज0रै0 फिरंगी गोप की पुत्री थी। इन्हें कोई संतान नहीं था। पुनः बुधु गोप ने दूसरी शादी यशोदा देवी के साथ किया इन्हें भी कोई संतान नहीं था। बुधु गोप एवं इनकी पत्नी यशोदा देवी ने पहली पत्नी दुलारी देवी की सहमति से मदन यादव को गोद लिया। जिसका गोद पत्र भोल्यूम नं0–04, नं0–149, दिनांक–29.06.1977 है। पहली पत्नी दुलारी देवी ने बुधु गोप के मृत्युपरांत अपने भाई का लड़का केशो यादव को गोद लिया है जो गलत है। विपक्षीगण बाहरी व्यक्ति है जो जटामा के रहने वाले हैं तथा आवेदक जमीन पर जबरन बाँस गाड़कर एक शेड का निर्माण कर मवेशी को रखने लगे हैं। जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 का उल्लंघन है। विपक्षी केशो यादव ने जमीन का खरीद–बिक्री भी किया है जो संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 का उल्लंघन है। यशोदा देवी एवं केशो देवी के बीच टाईटल सूट नं0–06 / 1982 को चला था। जिसमें दिनांक–08.12.1986 को आदेश पारित हुआ। इसमें केशो यादव एवं मदन यादव को पोष्यपुत्र को मान्यता नहीं दी गई है। इसमें वादी नं0–01 यशोदा देवी एवं दुलारी देवी प्रतिवादी को विधिक उत्तराधिकारी माना गया एवं पोष्यपुत्र खारिज किया है। पहली पत्नी दुलारी देवी की मृत्यु 20 वर्ष पूर्व हो गया है मृत्योपरांत बुधु गोप की दूसरी पत्नी यशोदा देवी को इसके सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है। यशोदा देवी की मृत्यु हो गई है एवं मदन यादव इसकी बहन का पुत्र है। इसलिए मदन यादव को भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा–14 एवं 15 के अनुसार अपने मौसी यशोदा देवी की सम्पत्ति पर अधिकारी प्राप्त होगा, चूँकि वह यशोदा देवी का देख–भाल

करता था एवं श्राद्ध कर्म भी करवाया था। अंत में अनुरोध करते हैं कि उक्त भूमि से विपक्षी को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया जाय।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका के द्वारा लिया गया पोष्यपुत्र नामा मदन यादव का जिसका नं0–3155, दिनांक–24.01.1977 है श्रीमान सबजज न्यायालय से टाईटल सूट नं0–06/1982 में पारित आदेश से खारिज कर दिया गया है। बुधु यादव की एक मात्र पत्नी दुलारी देवी थी। दुलारी देवी ने भी केशो यादव को पोष्यपुत्र लिया था जिसका पोष्यपुत्र नामा नं0–06, दिनांक–08.01.1982 है इसे भी श्रीमान सबजज न्यायालय से टाईटल सूट नं0–06/1982 में पारित आदेश के द्वारा रद्ध कर दिया गया है। श्रीमान सबजज न्यायालय के टाईटल सूट नं0–06/1982 में पारित आदेश के कंडिका 03 से स्पष्ट होता है कि यशोदा देवी बुधु यादव की विवाहिता पत्नी नहीं थी बल्कि यशोदा देवी को बुधु यादव ने लघोर लाया था। बुधु यादव की पत्नी दुलारी देवी थी जो निःसंतान फौत कर गई। उत्तराधिकार के नियम के तहत यदि पति को दूर–दूर तक वंश में कोई नहीं है तो पत्नी का चल व अचल संपत्ति पिता में विलय हो जाता है। इस प्रकार दुलारी देवी, पति–बुधु यादव की सारी संपत्ति दुलारी देवी के पिता फिरंगी यादव की संपत्ति में विलय हो गया। तथा फिरंगी यादव बिना किसी अवरोध के बुधु यादव की जमीन पर जोत–आबाद करने लगे। विपक्षीगण फिरंगी यादव के वंशज है। मदन यादव पिता पैरू यादव तथा केशो यादव, पिता–गणेश यादव दोनों अपने–अपने पोष्यपुत्रनामा को ढाल बनाकर समय–समय पर विपक्षीगण को तंग–तबाह करते रहते हैं। अंत में अनुरोध करते हैं कि वर्तमान वाद खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–680/रा0, दिनांक–02.12.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मोहानी, थाना नं0–439, जमाबंदी नं0–25, कुल रकवा–04 बीघा 02 कट्ठा 05 धूर गत गेंजर सर्वे पर्चा में बुधु गोप वल्द लखन गोप के नाम से दर्ज है। बुधु गोप दो शादी किये थे। पहली पत्नी दुलारी देवी जटामा के ज0रै0 फिरंगी गोप की पुत्री थी इन्हें कोई संतान नहीं था। दुसरी पत्नी यशोदा देवी थी इन्हें भी कोई संतान नहीं था। बुधु गोप के मरने के बाद दुलारी देवी ने अपने भाई के पोता केशो यादव को एवं यशोदा देवी ने अपनी बहन के पुत्र मदन यादव को पोष्यपुत्र लिया। दोनों के बीच माननीय सबजज न्यायालय में टाईटल सूट नं0–06/1982 चला जिसमें दिनांक–08.12.1986 को पारित आदेश से दोनों पोष्यपुत्रनामा को खारिज कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गत गेंजर पर्चा में बुधु गोप वल्द लखन गोप के नाम से दर्ज है। उभय पक्ष के बीच मामला उत्तराधिकारी को लेकर जिसका निराकरण इस प्रक्रिया के तहत संभव नहीं है।

अतः आवेदिका के द्वारा दाखिल आवेदन खारिज किया जाता है।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.08.20 17:35:29 +05:30
Location: 10.93.203.49

लिखाया एवं शुद्ध किया।

25/4/25
अनुमण्डल पदाधिकारी,
महागामा।

25/4/25
अनुमण्डल पदाधिकारी,
महागामा।